

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1968/2019

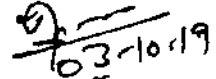
दिनांक : 04.10.2019

श्री मनोज जीनगर (RJ1123), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरवाड़ा (उदयपुर) को दिनांक 22.06.2019 से 06.07.2019 तक 15 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 07.07.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री जीनगर की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरवाड़ा (उदयपुर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरवाड़ा (उदयपुर) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/111/2016/9320

दिनांक : 04.10.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 11602 दिनांक 13.09.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्री मनोज जीनगर (RJ1123), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरवाड़ा (उदयपुर)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरवाड़ा (उदयपुर)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरवाड़ा (उदयपुर)।



सहायक रजिस्ट्रार